Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

41-2016/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, MARCH 17, 2016 (PHALGUNA 27, 1937 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 17th March, 2016

No. 9-HLA of 2016/11.— The East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Haryana Amendment Bill, 2016 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:–

Bill No. 9- HLA of 2016

THE EAST PUNJAB HOLDINGS (CONSOLIDATION AND PREVENTION OF FRAGMENTATION) HARYANA AMENDMENT

BILL, 2016

A

BILL

further to amend the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Act, 1948, in its application to the State of Haryana.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows:–

Short title.

1. This Act may be called the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Haryana Amendment Act, 2016.

Amendment of Preamble to East Punjab Act 50 of 1948.

2. In the Preamble to the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Act, 1948 (hereinafter called the principal Act,-

(i) after the words “fragmentation of agricultural holdings”, the words “and for any other development purpose on lands owned by the State Government or Government owned entities’’ shall be inserted; and

(ii) after the words “of the village”, the words “or villages” shall be added.

Amendment of section 14 of East Punjab Act 50 of 1948.

3. In sub-section (1) of section 14 of the principal Act, after the words "lands therein", the words "or for any other development purpose on lands owned by the State Government or Government owned entities" shall be inserted.

Amendment of section 19 of East Punjab Act 50 of 1948.

4. In sub-section (1) of section 19 of the principal Act, after the words "in the prescribed manner", the words "in consultation with the Gram Sabha and in presence of concerned Tehsildar and Block Development and Panchayat Officer" shall be inserted.

Amendment of section 36 of East Punjab Act 50 of 1948.

5. in section 36 of the principal Act, after the words "be varied or", the words "partially revoked or" shall be inserted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The East Punjab Holdings (Consolidation & Prevention of Fragmentation) Act, 1948 was notified on 14th December, 1948. The consolidation work in most of the villages of Haryana was carried out from 1950 onwards. When the State came into existence in 1966, more than 80% of the villages had been consolidated under the provisions of the East Punjab Holdings (Consolidation & Prevention of Fragmentation) Act, 1948. Over a period of time due to better irrigation facilities the actual classification of land has undergone a sea change. During the last 15 years, the utilization of land in Haryana has undergone a sea change due to it's proximity to the National Capital, Delhi. Today 13 Districts of Haryana fall under the National Capital Region (NCR) on account of which the pressure on utilization of land for various purposes like residential, commercial and industrial has increased manifold leading to further fragmentation in the holdings. Keeping in view the above requirements, it is imperative that the Consolidation Act of 1948 is also amended suitably to meet the needs of the time.

So, in order to streamline the work of consolidation and to broaden the scope of consolidation, general amendments are required in the East Punjab Holdings (Consolidation & Prevention of Fragmentation) Act, 1948.

CAPTAIN ABHIMANYU,
Revenue Minister,
Haryana.

———————

Chandigarh:
The 17th March, 2016.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2016 का विधेयक संख्या 9–एच.एल.ए.

पूर्वी पंजाब जोत (चकबन्दी तथा खण्डकरण रोकथाम)
हरियाणा संशोधन विधेयक, 2016

पूर्वी पंजाब जोत (चकबन्दी तथा खण्डकरण रोकथाम) अधिनियम, 1948, हरियाणा राज्यार्थ को आगे संशोधित करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम पूर्वी पंजाब जोत (चकबन्दी तथा खण्डकरण रोकथाम) हरियाणा संशोधन अधिनियम, 2016, कहा जा सकता है।

1948 के पूर्वी पंजाब अधिनियम 50 की प्रस्तावना का संशोधन।

2. पूर्वी पंजाब जोत (चकबन्दी तथा खण्डकरण रोकथाम) अधिनियम, 1948 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) की प्रस्तावना में,–

(i) "कृषि जोतों के खण्डकरण की रोकथाम हेतु" शब्दों के बाद, "तथा राज्य सरकार या सरकार की संस्थाओं के स्वामित्वाधीन भूमियों पर किसी अन्य विकास प्रयोजन के लिए," शब्द रखे जायेंगे; तथा

(ii) "गांव" शब्द के बाद, "या गांवों" शब्द रखे जाएंगे।

1948 के पूर्वी पंजाब अधिनियम 50 की धारा 14 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) में, "चकबन्दी के उद्देश्य से" शब्दों के बाद, "या राज्य सरकार या सरकार की संस्थाओं के स्वामित्वाधीन भूमियों पर किसी अन्य विकास प्रयोजन के लिए" शब्द रखे जायेंगे।

1948 के पूर्वी पंजाब अधिनियम 50 की धारा 19 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) में "विहित रीति में" शब्दों के बाद, "ग्राम सभा के परामर्श से तथा सम्बद्ध तहसीलदार और खण्ड विकास तथा पंचायत अधिकारी की उपस्थिति में" शब्द रखे जायेंगे।

1948 के पूर्वी पंजाब अधिनियम 50 की धारा 36 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 36 में, "परिवर्तित या" शब्दों के बाद, "आंशिक रूप से प्रतिसंहृत या" शब्द रखे जायेंगे।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

पूर्वी पंजाब जोत (चकबन्दी तथा अपखण्डन निवारण) अधिनियम, 1948, 14 दिसम्बर, 1948 को अधिसूचित किया गया। हरियाणा के अधिकतर गांवों में चकबन्दी कार्य 1950 व उससे आगे तक किया गया। जब वर्ष 1966 में हरियाणा राज्य अस्तित्व में आया तब तक 80 प्रतिशत से अधिक गांवों में पूर्वी पंजाब जोत (चकबन्दी तथा अपखण्डन निवारण) अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अन्तर्गत चकबन्दी कार्य पूर्ण हो चुका था। समय के साथ–साथ सिंचाई की अच्छी सुविधाओं के कारण भूमि के वास्तविक वर्गीकरण में बहुत अधिक परिवर्तन आया। पिछले 15 वर्षों में राष्ट्रीय राजधानी, दिल्ली के नजदीक होने के कारण हरियाणा में भूमि की उपयोगिता में बहुत अधिक परिवर्तन आया है। आज हरियाणा के 13 जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पड़ते हैं, जिसके कारण भूमि के विभिन्न उपयोगों जैसे आवासीय, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक उपयोगिता कई गुणा बढ़ गई, जिससे और अधिक भू–अपखण्डन हुआ है। उपरोक्त आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि चकबन्दी अधिनियम, 1948 में भी समय की आवश्यकताओं अनुसार समुचित संशोधन किया जाना अनिवार्य है।

अतः चकबन्दी कार्य को सुचारु रूप देने तथा इसके क्षेत्र को बढ़ाने हेतु पूर्वी पंजाब जोत (चकबन्दी तथा अपखण्डन निवारण) अधिनियम, 1948 में संशोधन किया जाना आवश्यक है।

कैप्टन अभिमन्यु,
राजस्व मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 17 मार्च, 2016.

आर० के० नांदल,
सचिव।

54164—H.V.S.—H.G.P., Chd.